भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 236

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता

236. श्री तेजस्वी सूर्याः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए 27 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और बीओएटी साझेदारी में किन विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) इस गठबंधन के अंतर्गत स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को मेंटर करने के लिए नियोजित समर्पित कार्यक्रमों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की स्टार्टअप्स के लिए सहायता बढ़ाने हेतु अन्य निजी कंपनियों के साथ इसी प्रकार के सहयोग की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में नए स्टार्टअप्स स्थापित करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

देशभर में स्टार्टअप इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की शुरुआत की, जिसमें देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं, जो "सरलीकरण और सहायता", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवप्रयोग आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग जगत और स्टार्टअप के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), अन्य बातों के साथ-साथ, मार्गदर्शन

करने, अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने, संसाधन और ज्ञान साझा करने, बाजार लिंकेज में मदद करने और फंडिंग नेटवर्क से जुड़ने में सहायता करने जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विभिन्न निजी कंपनियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस पहल के तहत, ऑडियो और वियरेबल्स बाजार की भारतीय कंपनी boAt (बोट) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) : यह समावेशी स्वरूप की पहल है, और इसके तहत की गईं साझेदारियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उद्योगों से संबंधित स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार निकायों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,57,706 निकायों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

विशेष रूप से हरियाणा राज्य में, 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 8,222 निकायों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से, 94 निकायों को भिवानी जिले में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और 42 निकायों को महेंद्रगढ़ जिले में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में, 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 5,093 निकायों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें सीधी जिले से 12 निकायों को मान्यता प्रदान की गई है।

*****